निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर

Plot No 4/1/10-11, Sector-4 Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302029

फोन :– 0141–2612592, ,फैक्स : 0141-2603407, ई–मेल :mcell.hghq.rj@RAJASTHAN.GOV.in

Website :Home. Rajasthan.Gov.in/ Home Guards

क्रमांकः–निगृर / अनु.प्रको / (5)(8) / 2024 / **दिनांक**

स्थाई आदेश संख्या 1 / 2024

निरीक्षण परिपत्र

निदेशालय द्वारा जारी पूर्व स्थाई आदेश क्रमांक गृरमु / अनु. प्रको. / आई–4 (1–35)85 / 36583–653 दिनांक 20.12.2006 (निरीक्षण स्थाई आदेश संख्या 08 / 2006) द्वारा स्वयं के कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालयों हेतु निरीक्षण कार्य के सम्पादन की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। पूर्वोक्त इस कार्यालय के आदेशों के द्वारा पारित निर्देशों के पश्चात परिस्थितियों मे परिवर्तन आये हैं। अतः अब तक निरीक्षण कार्य–व्यवस्था हेतु समय समय पर जारी सभी दिशा आदेशों के क्रम में पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में निरीक्षण कार्य – व्यवस्था हेतु अब निम्नानुसार निरीक्षण प्रक्रिया / दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते है। जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न की जावेगी।

भाग– I

निर्धारित निरीक्षण

01. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा।
02. अतिरिक्त महानिदेशक।
03. महानिरीक्षक।
04. उप महासमादेष्टा
05. सीनियर स्टाफ ऑफिसर।
06. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण।

भाग– II

(निरीक्षण प्रक्रिया)

1. निरीक्षण करने हेतु 7 दिवस पूर्व निरीक्षण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को अवगत कराया जावेगा।
2. गण समादेष्टा एवं समादेष्टा द्वारा निर्धारित निरीक्षण तिथि से कम से कम 3 दिवस पूर्व कार्यालय / कम्पनी / उपकेन्द्र का निरीक्षण हेतु वस्तुस्थिति का नोट एवं पूर्व निरीक्षण के दौरान दिये गये दिशा निर्देशों की पालना रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।
3. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं के कार्यालय के निरीक्षण के आधार पर सभी संबंधित प्रभारी द्वारा निरीक्षण हेतु वस्तुस्थिति का नोट, निरीक्षण तिथि से 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8289649

4. निरीक्षण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु जाने से पूर्व निदेशालय स्तर से एक टीम के 2 सदस्य (प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक) 2 दिवस पूर्व संबंधित कार्यालय में जाकर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. निरीक्षण कार्य दो दिवस में पूरा किया जावेगा जिसमें कम से कम 2 रात्रि विश्राम किये जावेंगे। प्रथम दिन कार्यावलोकन पश्चात दूसरे दिन कल्याणकारी कार्य अवलोकन सम्पर्क सभा तथा स्थानीय लोगों एवं अन्य पारिवादियों की सुनवाई और लोक सम्पर्क कार्य होगा। इस कार्यक्रम को सम्बद्व ईकाई के प्रभारी निर्धारित तिथि के पूर्व स्थानीय प्रचार माध्यम से नागरिकों तथा स्वयंसेवकों की जानकारी में लावेंगे।

<u>भाग–III</u>

(निरीक्षण की विषय वस्तु)

01. संस्थापन शाखा

1. कार्यालय कार्य संचालन व्यवस्था, पत्राचार एवं निस्तारण की समीक्षा।
2. स्थायी कार्मिकों की नफरी व कमी की समीक्षा।
3. कार्यालय संचालन हेतु कार्य–वितरण आदेशों की समीक्षा।
4. स्थाई कार्मिको के कार्यभार के रोटेशन की समीक्षा।
5. राजकाज पोर्टल पर ई–ऑफिस, ई–डाक, आर. टी. आई, सम्पर्क पोर्टल इत्यादि के ईकाई स्तर पर निस्तारण की समीक्षा विशेष तौर पर 15 दिवस से अधिक लम्बित प्रकरण की समीक्षा।
6. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के संधारण की समीक्षा। कार्यालय में संधारित शत प्रतशित सेवा पुस्तिका की जॉच की जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि सभी सेवा पुस्तिका में कार्मिक /अधिकारी से सम्बन्धित अधतन सूचना (दण्ड/प्रशंसा/अवकाश/पदोन्नती) अंकित है अथवा नही साथ ही सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सेवा पुस्तिका का वार्षिक अवलोकन किया गया है अथवा नही।
7. सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया प्रकरण जैसे पेंशन प्रकरण, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के भुगतान की समीक्षा।
8. निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों का टर्न आउट चेक एवं उनको एकत्रीकरण किया जाकर उनकी समस्या पर चर्चा एवं समाधान।
9. प्रत्येक ईकाई स्तर पर सभी शाखाओं से संबंधित सभी रिकार्ड का उचित संधारण, रख–रखाव, पुराने रिकार्ड का रिकार्ड रूम में रख–रखाव तथा सुरक्षा एवं विडिंग आउट की स्थिति की समीक्षा।
10. **कार्यालय स्तर पर स्थाई स्टाफ के विरूद्व अनुशासनहीनता के प्रकरणों की समीक्षा**

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8289649

(अ) स्थाई स्टाफ की अनुपस्थिति एवं कार्यवाही।

(ब) परिवाद, जांच और निस्तारण।

(स) विभागीय जांच एवं निस्तारण

(17 CC & AR, 16 CC & AR, 18 CC & AR)

02. प्रशिक्षण एवं नियोजन शाखा

(1) स्वयं सेवकों का नियोजन

1. स्वयं सेवकों की स्वीकृत नफरी, कमी एवं सदस्यों को आवंटित सदस्य संख्या को केन्द्र, कम्पनी, उप–केन्द्र के अनुसार निरन्तरता की समीक्षा।
2. ईकाई स्तर पर प्रतिमाह नियोजन हेतु निदेशालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा।
3. प्रतिमाह नियोजन का विवरण (सदस्यों की संख्या मय प्रतिशत) की समीक्षा।
4. रोटेशन प्रणाली से स्वयंसेवको के नियोजन व निरतंर नियोजन का निदेशालय से अनुमोदन की समीक्षा।
5. स्वयं सेवको से सम्बन्धित इकाई स्तर पर संधारित रिकॉर्ड की समीक्षा
   (अ) नोमिनल रोल रजिस्टर (ब) निजी पत्रावली
   (स) रोटेशन प्रणाली रजिस्टर (द) सम्पर्क परेड रजिस्टर
   (य) स्वयं सेवकों से प्राप्त शिकायत एवं निस्तारण रजिस्टर
   (र) ड्यूटी डिमाण्ड रजिस्टर ।
6. इकाई औसत से कम नियोजन किये गये स्वयं सेवकों की सूची की कारणों सहित समीक्षा।
7. सम्पर्क सभा में लगातार तीन माह से अधिक समय से अनुपस्थित स्वयं सेवको की सूची तथा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा।
8. नियोजन की उपस्थिति प्राप्ति अवधि तथा तद्नुसार स्वयंसेवको के बिल प्रेषण व भुगतान स्थिति की समीक्षा।
9. स्वयं सेवकों के नियोजन हेतु सॉफ्टवेयर के उपयोग की समीक्षा। (प्रारम्भ होने पर)
10. स्वयं सेवको के मासिक सम्पर्क परेड के अवसर पर विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों, उनके कल्याण संबंधी लिये गये निर्णयों एवं नियोजन में उपलब्ध नवीन अवसरों से अवगत कराये जाने के माध्यमों की समीक्षा।
11. पूर्व वर्ष (माह मार्च) के अनुपात में वर्तमान वर्ष में नियोजन की वृद्धि की समीक्षा।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8289649

(2) स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण

1. गत तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में निदेशालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण लक्ष्यों के विरूद्ध कराये गये प्रशिक्षण की समीक्षा।
2. स्वयं सेवकों को कराये गये प्रशिक्षण हेतु संधारित रजिस्टर की समीक्षा।
3. स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण (आउटडोर/इनडोर) हेतु उपलब्ध उपयुक्त भवनों, संसाधनों एवं अन्य साजो समान की समीक्षा।
4. गत दो वर्ष से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नही करने वाले स्वयंसेको की सूची तथा कारणों की समीक्षा।
5. गत माह में पूर्ण किये गये प्रशिक्षण लक्ष्य एवं वर्तमान माह में चलायमान प्रशिक्षण की समीक्षा।

(3) स्वयंसेवको के विरूद्ध अनुशासनहीनता के प्रकरणों की समीक्षाः—

1. अनुशासनहीनता के कारण डिस्चार्ज/निलम्बित किये गये स्वयंसेवको की समीक्षा।
2. स्वयंसेवको के विरूद्ध अनुशासनहीनता की लम्बित कार्यवाही (Pending) की समीक्षा।

3. ईकाई स्तर पर कल्याणकारी कार्यो की समीक्षाः—

1. ईकाई स्तर पर गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कल्याण कोष में प्राप्त राशि की समीक्षा।
2. गत वर्ष प्रदान की गई छात्रवृत्ति की समीक्षा।
3. गत/इस वित्तीय वर्ष में सेवा पृथक स्वयं सेवको को कल्याण कोष से दिये गये अनुदान की समीक्षा।
4. स्वयं सेवको के लम्बित मृतक आश्रित नामांकन की समीक्षा।
5. मृतक आश्रित को वैलफेयर से प्राप्त अनुदान की समीक्षा।
6. नियोजन के दौरान दुर्घटना पर अपाहिज/मृत्यु पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की समीक्षा।
7. ईकाई वैलफेयर कमेटी की मीटिंग एवं कार्यवाही की समीक्षा।
8. कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों और अधिकारियों की अपेक्षाये तथा प्रार्थना पर कार्यवाही के किये गये प्रयास।
9. निरीक्षण अधिकारी द्वारा संपर्क सभा की जाए।

4 ईकाई स्तर पर कोर्ट कैसेज की समीक्षाः—

1. विभिन्न न्यायालयों व अभिकरणो में लम्बित प्रकरणों तथा पर्यवेक्षण की समीक्षा।
2. लम्बित प्रकरणों में बकाया जवाब दावे की समीक्षा।
3. लाईटस पोर्टल पर अद्यतन की समीक्षा।
4. न्यायालय द्वारा पारित आदेशां की पालना एवं कन्टेम्प्ट कैसेज की समीक्षा

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8289649

5 लेखा शाखा

1. रोकड़ की सुरक्षा हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से जारी फिडिलिटी बॉण्ड की समीक्षा।
2. निर्धारित लेखा पंजिका जैसेः–
   सरकारी रोकड़ पजिका, बिल संधारित रजिस्टर, डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्टर, चालान पंजिका, ऋण एवं अग्रिम पंजिका की समीक्षा।
3. नकद राशि का सत्यापन एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा।
4. भुगतान पंजिका की समीक्षा।
5. आकस्मिक भुगतान संबंधी बिल पंजिका की समीक्षा।
6. प्राप्ति एवं जमा रसीदें पुस्तकों का मिलान। (नमूने के तौर पर कुछ प्रकरण देखे जायेंगे)।
7. बजट नियत्रंण पंजिका, आवंटन/लिमिट तथा व्यय की समीक्षा।
8. पेंशन, सेवानिवृत राशि तथा प्रावधायी निधी और राज्य बीमा राशि आदि के अवशिष्ठ प्रकरण की समीक्षा।
9. यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण पंजिका, लम्बित दायित्व की समीक्षा।
10. लेखा परीक्षण में इंगित आक्षेपों की पालना की कार्यवाही आदि का अवलोकन।
11. विभिन्न बजट मदों में त्रैमासिक बजट के उपयोग की समीक्षा।

6 भण्डार शाखा

1. भण्डार में प्राप्त आइटमों एवं इश्यू आईटमो के विवरण की समीक्षा।
2. लेजर अनुसार उपलब्ध आइटमों की मात्रा का निरीक्षण (कम से कम 25 प्रतिशत लेजर का मिलान)
3. भण्डार का वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का अवलोकन एवं उस पर की गई कार्यवाही।
4. ऑनलाईन स्टोर मेनेजमेन्ट पोर्टल के उपयोग की समीक्षा।(प्रारम्भ होने पर)
5. केन्द्र की कुल स्वीकृत नफरी के अनुसार 1/10 वसूली पर स्थाई रूप से स्वयं सेवको को इश्यू किये जाने वाले आइटमों के वितरण की समीक्षा। केन्द्र की स्वीकृत नफरी के अनुसार भण्डार में 1/10 पर वितरण किये जाने वाले वर्दी आइटमों की उपलब्धता तथा पात्रता रखने वाले कितने सदस्यों को वर्दी वितरण कर दिया गया है तथा शेष कितने सदस्यों को वितरण किया जाना शेष है। अतः स्थाई वर्दी आईटमों की पात्रता, उपलब्धता, मांग एवं वितरण की समीक्षा की जानी है।
6. अस्थाई रूप से वितरण किये जाने वाले वर्दी आईटमों की वितरण, पुनः जमा तथा उन्हें नकारा एवं निलाम किये जाने की समीक्षा।
7. भण्डार में अनुपयोगी, नाकारा, योग्य सामग्री की नाकारा अपलेखन एवं निस्तारण की कार्यवाही समय–समय पर हो रही है या नही की समीक्षा।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8289649

8. भण्डार में उपलब्ध सामग्री का रख–रखाव एवं संधारण किये जाने की स्थिति की समीक्षा।
9. भण्डार सम्बन्धी रिकार्ड का उचित संधारण, रख–रखाव सुरक्षा तथा पुराने रिकार्ड के विन्डिग आउट की समीक्षा।

07 भवन एवं परिसर

1. भण्डार एवं कार्यालय, पर्याप्त भवन, संसाधनों एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा
2. कार्यालय परिसर की स्वच्छता, जल और विधुत व्यवस्था के कार्य का अवलोकन किया जाना।
3. भवन की मरम्मत एवं संधारण।
4. चल रहे निर्माण कार्य की स्वीकृति।
5. संविदा के उल्लंधन पर की गई कार्यवाही।
6. भवन संबन्धी स्थाई पत्रावलियां और उसका उल्लेख।

08 कोत

1. आर्म्स एवं एम्यूनेशन के उच्च कोटी के रख–रखाव हेतु सुरक्षित एवं पर्याप्त कोत भवन की उपलब्धता एवं आवश्यकता की समीक्षा।
2. केन्द्र की नफरी अनुसार अधिकृत मात्रा अनुसार आर्म्स एवं एम्यूनेशन की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा।
3. आर्म्स एवं एम्यूनेशन की समय–समय पर साफ–सफाई एवं आर्मोरर द्वारा किये गये निरीक्षण की समीक्षा।
4. आर्म्स एवं एम्यूनेशन के रिकार्ड एवं संधारित की जाने वाली पंजिकाओं की स्थिति की समीक्षा।
5. प्रशिक्षण के दौरान समय –समय पर तय मापदण्डों के अनुसार फायरिंग करवाई जा रही है अथवा नही तथा खाली केस जमा आदि की स्थिति की समीक्षा।

09 मोटर वाहन शाखा

1. वाहनों के आवंटन, रख–रखाव, संधारण एवं सुरक्षा आदि का निरीक्षण।
2. वाहनों की किलोमीटर के अनुसार सर्विसिंग एवं मरम्मत की समीक्षा।
3. प्रत्येक वाहनों से संबंधित रिकार्ड (हिस्ट्रीशीट, लॉग बुक, फ्यूल पंजिका एवं आवश्यक दस्तावेज(वाहन क्रय बिल, पंजीयन प्रमाण–पत्र) आदि का निरीक्षण।
4. वाहनों के नाकारा घोषित करने एवं निलामी की कार्यवाही का निरीक्षण।
5. फ्यूल पंजिका, पेट्रोल डीजल के खर्चे की समीक्षा एवं निरीक्षण।
6. वाहनों के यू.एस. (Un Serviceable) पार्ट्स को मोटर गैराज में जमा/नकारा निलाम की स्थिति की समीक्षा।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8289649

7. वाहनो के पंजीकरण, अवधि की समाप्ति एवं नवीनीकरण की स्थिति का निरीक्षण की समीक्षा।

10 विविध विवरण

1. अर्दली रूम रजिस्टर संधारण की समीक्षा।
2. कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की कमेटी के कार्य की समीक्षा।
3. समस्या निवारण समिति के बैठको की समीक्षा।
4. लोक सहायता प्राप्ति पंचायतराज संस्थाओं तथा जन प्रतिनिधियों से सहायता प्राप्ति।
5. स्थानीय निकाय और राजकीय संस्थाओं में स्वयं सेवकों के सेवा नियोजन के लिए किये गये दौरे एवं सम्पर्क।
6. सीमा गृह रक्षा की बटालियन के संदर्भ में मुख्यालय के साथ–साथ एक कम्पनी मुख्यालय एवं वर्तमान में कार्य नियोजन के किसी एक स्थान का अवलोकन आावश्यक होगा इसी प्रकार जिला गृह रक्षा की कम से कम एक उप ईकाई केन्द्र का भी अवलोकन किया जावे।
7. निरीक्षण में अधिकारियों के परस्पर संबंध, स्वयंसेवको तथा मन्त्रालयिक कार्मियों के प्रति उपयुक्त व्यवहार, अनुशासन तथा गृह रक्षा से संबंधित नागरिकों से अधिकारियों के संबंध और सम्पर्क पर स्पष्ट टिप्पणी अंकित होगी ।

इस संबंध में एकरूपता कायम रखने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नः निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप।

(**राजेश निर्वाण IPS**)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
निदेशालय, गृह रक्षा,
जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समस्त समादेष्टा/उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Nirwan
Designation : Director General Of Police
Date: 2024.07.09 17:33:25 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8289649